न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रकरण संख्या
33/2022

फैसल दिनांक
17.02.2022

अनवान

1. हरचंद पिता प्यारा जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. गोदूलाल पिता प्यारा जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. चतरभुज पिता देवजी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. मोहनलाल पिता देवजी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,188 राज.काश्त. अधिनियम

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अंतर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा0दी0 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ग्राम सुखवाडा प0ह0 सुखवाडा तहसील भदेसर में स्थित साबिक आराजी नम्बर 87 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित थी। साक्ष्य में नकल जमाबंदी, विकय पत्र की फोटो प्रति, मिलानशीट संलग्न वाद पत्र है।

यहकि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 87 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बहनामा दिनांक 03.06.1972 को प्यारा,डालू चमार से कय की उसी दिनांक से मौके पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। उपरौक्त वर्णित आराजीयात का रजिस्टर्ड बहनामा के आधार

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

ामांतरकरण की कार्यवाही कराने हेतु तहसीलदार भदेसर के यहा पत्रावली
ा की तो तहसीलदार भदेसर द्वारा उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के यहां
175 काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बेदखली का वाद प्रस्तुत किया
जो प्रकरण संख्या 388/1976 दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रकरण में
तरफा कार्यवाही कर दिनांक 17.11.1976 को निर्णित कर दिया।

यह कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 17.11.1976 से
तुष्ट होकर वादीगण के पिता ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर
प चित्तौडगढ में अपील प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रकरण
ख्या 292/1977 पर दर्ज की गई, जिसका निर्णय दिनांक 11.10.1977
पारित किया गया जिसमे उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय
7.11.1976 को निरस्त किया गया उसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा कोई
न्य वाद आज तक उक्त आराजीयात के संबंध में आज तक प्रस्तुत नहीं
केया गया और वादीगण के विरूद्ध 183 अथवा 183बी के अंतर्गत कोई भी
कार्यवाही नहीं की गई लेकिन पूर्व में दिनांक 17.11.1976 के निर्णय
अनुसार उपरोक्त आराजीयात को कब्जे सरकार ली जाकर बिलानाम दर्ज कर
दी जबकि मौके पर वादीगण आराजी नम्बर 151 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि
पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जिससे वादीगण धारा 63(4) राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने आपको इस आराजीयात के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है एवं इसलिये भी आवश्यक है कि कब्जा वादीगण का ही है। इसलिये वादीगण की ओर से यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा का पेश किया है।

यह कि वर्तमान मे उपरोक्त आराजीयात बिलानाम सरकार होने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल कर कब्जा छिनने पर आमादा हो रहे है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण के वादग्रस्त आराजीयात के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे एवं आराजीयात से वादीगण को बेदखल न तो स्वयं करे ना मातहत कर्मचारियों से करावे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला - चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दि. का नोटिस देना आवश्यक होता परंतु प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजीयात से बेदखल करने पर मादा हो रहे है ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र वश्यक प्रकृति को होने से बिना नोटिस दिये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा जिसके लिये धारा 80(2) जा.दि. का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र अलग से ा किया है।

यह कि वाद कारण दिनांक 20.01.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा ोके पर आकर वादीगण को जमीन से बेदखल कर अन्य को रहन,बह,बक्षीस रने की धमकी देने से पैदा होकर निरंतर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि-

वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 151 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित की जाकर राजस्व रेकार्ड वादीगण का नाम अमल दरामद किया जावे। एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को आराजी नम्बर 151 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी बावजूद सूचना अनुपस्थित आये।

लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण खरीद दिनांक 03.06.1972 से ही काबिज होकर काश्त उपयोग उपभोग कर रहा है। उपरौक्त वर्णित आराजीयात का रजिस्टर्ड बहनामा के आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही कराने हेतु तहसीलदार भदेसर के यहा पत्रावली प्रस्तुत की तो तहसीलदार भदेसर द्वारा उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के यहां धारा 175 काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बेदखली का वाद प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण संख्या 388/1976 दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 17.11.

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

76 को निर्णित कर दिया जिसके बाद वादीगण के पिता ने न्यायालय स्व अपील प्राधिकारी उदयपुर केम्प चित्तौडगढ में अपील प्रस्तुत की जो रजिस्टर की जाकर प्रकरण संख्या 292/1977 पर दर्ज की गई, जिसका र्णय दिनांक 11.10.1977 को पारित किया गया जिसमे उपखण्ड अधिकारी म्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय 17.11.1976 को निरस्त किया गया उसके चात राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य वाद आज तक उक्त आराजीयात के बंध में आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया और वादीगण के विरूद्ध 183 थवा 183बी के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही नहीं की गई लेकिन पूर्व में दिनांक 17.11.1976 के निर्णय अनुसार उपरोक्त आराजीयात को कब्जे सरकार ली जाकर बिलानाम दर्ज कर दी जबकि मौके पर वादीगण आराजी नम्बर 151 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जिससे वादीगण धारा 63(4) राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत अपने आपको इस आराजीयात के खातेदार घोषित कराने के अधिकारी होने से वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया जावे।

वाद के समर्थन मे वादीगण द्वारा निम्न साक्ष्य पेश किये गयेः-

1. नकल जमाबंदी मौजा सुखवाडा खाता संख्या 01 संवत् 2076
2. नकल निर्णय फोटो प्रति राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर केम्प चित्तैडगढ दिनांक 11.10.1977
3. नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1972
4. शपथ पत्र आदेश 18 नियम 04 हरचंद, चतरभुज, मोहनलाल एवं गोटूलाल

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपरान्त अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर न्यायालय वादीगण के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है,वकील वादीगण के कथन से सहमत है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन,प्रस्तुत दस्तावेजों रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आलोक में वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कृषि आराजीयात मौजा ग्राम सुखवाडा साबिक आराजी नम्बर 87 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के हाल आराजी

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

र 151 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण का भूमि पर वादीगण के मौके कब्जे अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी आशय का डिक्री अलग से मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर ाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर